HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 14832/2021

Suresh Bhai S/o Sh. Kala Bhai, Aged About 36 Years, Vtc Bhanpur (Vidiyavir), Po Badoll, Sub District Idar, District Sabarkantha, Gujrat. At Present Posted At Aen (O And M), Bhinmal.

----Petitioner

Versus

1. Secretary (Admn.) Jodhpur Discom, Jodhpur, Rajasthan.
2. Superintendent Engineer, Jodhpur Discom, Jalore, Rajasthan.
3. Assistant Engineer, Jodhpur Discom, Bhinmal, Rajasthan.
4. Assistant Engineer (O And M), Jodhpur Discom, Ahore, Rajasthan.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. P.K.Rawla for Mr. Devi Lal Rawla
For Respondent(s)	:	Mr. Deepesh Singh Beniwal

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

08/05/2026

यह रिट याचिका याची सुरेश भाई की ओर से अयाची विभाग के विरूद्ध प्रस्तुत कर अयाची विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश दिनांक 23.08.2021 को इस आधार पर चुनौती दी है कि दिनांक 12.08.2021 के स्थानांतरण आदेश के मात्र 11 दिन बाद ही दूसरा स्थानांतरण आलौच्य आदेश जारी कर दिया गया है।

दिनांक 08.11.2021 को प्रकरण में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया और आदेश दिनांक 23.08.2021 की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया गया था।

विद्वान अधिवक्ता अयाची/विभाग का कथन है कि उक्त स्थगन आदेश के आधार पर लगभग 5 वर्ष से याची एक ही स्थान पर पदस्थापित चल रहा है। उन्होंने यह प्रार्थना की है कि याची की याचिका स्वीकार कर ली जावे एवं आलौच्य

आदेश दिनांक 23.08.2021 को अपास्त कर दिया जावे तथा अयाची/विभाग को विधि अनुसार प्रशासनिक अत्यावश्यताओं (Administrative exegencies) के आधार पर स्थानांतरण आदेश पारित करने की उन्मुक्ति प्रदान की जावे।

विद्वान अधिवक्ता याची ने विरोध किया।

विचार किया गया। पत्रावली का अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि याची द्वारा दिनांक 23.08.2021 के स्थानान्तरण आदेश को चुनौती दी है, जिसे पारित हुए लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं तथा उक्त स्थानांतरण आदेश पर इस न्यायालय से स्थगन आदेश जारी है। विद्वान अधिवक्ता अयाची/विभाग ने याचिका उन्हें नया आदेश जारी करने की स्वतंत्रता के साथ स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में याचिका स्वीकार की जाती है तथा अयाची/विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश दिनांक 23.08.2021 को अपास्त किया जाता है। अयाची/विभाग भविष्य में प्रशासनिक अत्यावश्यताओं (Administrative exegencies) के आधार पर नियमानुसार नया स्थानांतरण आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

उक्तानुसार याचिका एवं विविध प्रार्थना–पत्र यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

94-ajays/-